GOVERNMENT BILLS

The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill, 2005

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining of Registers by certain Establishments) Act, 1988 and certain other labour laws.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): I register my objection again that any such Bill on the labour should be placed before the House after discussion with the trade unions.

MR. CHAIRMAN: There is no time for objection. The Bill has been introduced. Shri Chandra Sekhar Rao.

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, I introduce the Bill.

The Railways (Amendment) Bill, 2004

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

महोदय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित रेलवे संशोधन विधेयक, 2005 भारतीय रेल की खाली पड़ी 43,000 हेक्टेयर जमीन का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक के प्रारूप की रेलवे की स्थायी समिति द्वारा समीक्षा की गई है। स्थायी समिति ने अनेक अनुशंसाएं की हैं, जिनमें से कुछ को सरकार द्वारा मान लिया गया है और तद्नुसार किये गये संशोधनों के साथ विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा हैं इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार सदस्य इंजीनियरी प्रस्तावित रेल भूमि विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे एवं उनके अतिरिक्त एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होंगे, जो कि इस प्राधिकरण के कार्यकारी प्रधान होंगे तथा चार सदस्य और होंगे, जो कि इंजीनियरी, वित्त, यातायात एवं संपत्ति विकास संबंधी विषय के विशेषज्ञ होंगे। इस बिल के माध्यम से रेलवे अधिनियम की धारा 11 में संशोधन कर यह स्पष्ट प्रावधान किया जा रहा है कि रेलवे में खाली पड़ी जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर सकेगी।

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]